

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू०अ०नि० (2) गै०यो०- बजट (आवंटन)-02/2023.....6703

प्रेषक,

जय सिंह, मा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना - 7
सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण
बिहार, पटना।

विषय :- विपत्र कोड - 40-2029001030001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपके कार्यालय व्यवहारार्थ वेतनादि मद एवं वेतनादि मद से भिन्न मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत निम्न ईकाई कोड के अन्तर्गत निम्न रूप में राशि आवंटित की जाती है :-

क्र०सं०	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	01 01	वेतन	3500000	36008000	39508000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	1000000	16563620	17563620
3	01 04	मकान किराया भत्ता	500000	5761220	6261220
4	01 05	परिवहन भत्ता	100000	1804540	1904540
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	50000	808000	858000
6	01 07	अन्य भत्ता	—	203300	203300
7	11 01	यात्रा व्यय	50000	—	50000
8	13 01	कार्यालय व्यय	500000	1800000	2300000
9	13 03	दुरभाष	25000	70000	95000
10	13 04	विद्युत प्रभार	—	850000	850000
11	13 10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	—	366600	366600
12	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	—	2500000	2500000
13	28 02	संविदा सेवाएँ	3000000	793300	3793300
कुल योग :-			8725000	67528580	76253580

(सात करोड़ बासठ लाख तिरेपन हजार पाँच सौ अस्सी रुपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या -40 एवं विपत्र कोड 40-2029001030001 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
12. आवंटित राशि से बकाया वेतन (एरियर) राशि की निकासी न की जाय। इसके लिए कर्मचार ब्यौरा सहित अलग से राशि की माँग की जाय। यदि अलग से कर्मचार आवंटन की माँग किए बिना उपलब्ध कराए गए आवंटन से एरियर की राशि की निकासी की जाती है तथा इस कारण वेतनादि मद में यदि आवंटन में कमी होती है तो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक - 02/भू0अ0नि0 (2) गै0यो0- बजट (आवंटन)-02/2023...~~6703~~ पटना दिनांक :- 29.08.23

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक - 02/भू0अ0नि0 (2) गै0यो0- बजट (आवंटन)-02/2023...~~6703~~ पटना दिनांक :- 29.08.23

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक - 02/भू0अ0नि0 (2) गै0यो0- बजट (आवंटन)-02/2023...~~6703~~ पटना दिनांक :- 29.08.23

प्रतिलिपि :- श्रीमति सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण